भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 637
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है
किसानों से भूमि अधिग्रहण

637. श्री के. गोपीनाथ:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए किसान अपनी भूमि क्यों नहीं देना चाहते हैं;
(ख) क्या सरकार की भूमि अधिग्रहण दर और कई राज्यों में प्रचलित बाजार मूल्य के बीच बहुत बड़ा अंतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भूमि अधिग्रहण दर और बाजार दर के बीच का यह अंतर विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सामान्यतया, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "एनएच अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। तथापि, कुछ मामलों में, भूमि मालिक अधिग्रहण के कारण होने वाली अव्यवस्था, अन्य भूमि मालिकों के साथ तुलना, जिनकी भूमि का मूल्य परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बढ़ जाता है, के अलावा मुआवजे की राशि सहित विभिन्न कारणों से अनिच्छुक होते हैं।

(ख) एवं (ग) जी, नहीं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है, इसलिए इसके लिए मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा का निर्धारण तथा मूल्य का 100% मुआवजा एवं अन्य लागू लाभों का भुगतान सुनिश्चित करता है।

(घ) सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं और प्रतिकर के भुगतान के लिए एकल बिंदु मंच के रूप में भूमिराशि पोर्टल विकसित और तैनात किया है। इसने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और हितधारक-अनुकूल बना दिया है। सरकार भूमि अधिग्रहण के मामलों और भूमिराशि पोर्टल के उपयोग पर राज्य और केंद्र सरकारों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित कर रही है।

*****